



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 540151

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जायें, वाले नाटरी शपथ का प्रारूप -:

हम दिनेश चन्द्र यादव पुत्र श्री सुदामा यादव ग्राम बनकराशिव पोस्ट जुमरी(मटनी) जनपद देवरिया उ0प्र0 नाम अध्यक्ष एवं श्रीमती गीता देवी पुत्र डी0एन0आर0 यादव ग्राम पोस्ट चाटी जनपद-देवरिया उ0प्र0 नाम सचिव कमरा अध्यक्ष एवं सचिव श्री दिनेश चन्द्र गीता माँ फूलपति देवी समाज सेवा ट्रस्ट ग्राम बनकराशिव पोस्ट जुमरी(मटनी) जनपद देवरिया(उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं।

- 1 यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा श्री दिनेश चन्द्र गीता कालेज ऑफ फार्मसी पता बरूआडिह वैजुन्तपुर जनपद-देवरिया उ0प्र0 नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- 2 यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि बरूआडिह में गाटासंख्या 132 कुल रकबा 1.044 हेक्टेयर भूमि है।
- 3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोर्टे नी चाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है। और भूमि विवाद स्थित है।
- 4 यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम पर उपलब्ध भूमि को गाटासंख्या 132 एवं रकबा 1.044 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक 05.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।
- 5 यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमगा डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
- 6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों एवं फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव



ह० अध्यक्ष

गीत (2023)